23/12/24

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।
पत्रावली का अवलोकन किया।
पत्रावली में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के व अन्य खातेदारान के विरुद्ध एक वाद विभाजन व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का सोहनलाल व गोपीलाल की ओर से पेश किया गया था इसके बाद की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी तथा इसके प्रकरण एक पक्षीय रूप से सुना जाकर बिना किसी पक्षकार की तामिल कराये व बिना पक्षकारों की विधिवत सुनवाई किये प्रा. डिक्री किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव मंगाया गया तथा उसका अंतिम डिक्री किया गया तथा प्रारंभिक डिक्री के बाद व विभाजन के समय भी प्रार्थीगण को न तो जानकारी दी गई ना ही [illegible] पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:39:10 IST
Reason: SelfAttested

रखने का मौका मिला तथा एक पक्षीय रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अंतिम डिक्री किया गया।

इसके बाद मोहनलाल व गोपीलाल की ओर से पेश किया गया जिसमें प्रतिवादीगण प्रार्थीगण पर कोई तामिल जारी नहीं हुई ना ही प्रतिवादीगण पर कोई तामिल हुई तथा जो पता इकरार में लिखा गया उक्त पते पर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण क्रमांक 5 लगायत 7 रहते ही नहीं है तथा प्रतिवादी क्रमांक 8 को भी कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा बिना किसी तामिल के इनके विरुद्ध उक्त आदेश व डिक्री पारित की गयी जो इनकी अनुपस्थिति में इनकी जानकारी के बिना की गयी है जो प्राकृतिक न्याय व सिद्धान्तों के विपरीत होकर उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है वकील विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा सीधे ही बहस की गई।

उक्त प्रा. पत्र के प्रस्तुत बाद प्र.सं. 7/2017 (मोहनलाल / जगदीशलाल) [illegible] किया गया। दिनांक 17.5.[illegible] आदेश पत्र [illegible] पर पक्षकारान [illegible] प्रथम बाद पत्र के अनुसार [illegible] ही और लिखा गया है तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगी है जिससे जाहिर होता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:39:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि पक्षकारान आपस में सहमत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रा. पत्र आ. 9 नि. 13 व धारा 151 ज़ा. दी का पेश करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रा. पत्र आ. 9 नि. 13 व धारा 151 को खारिज किया जाता है। पत्रावली दैनिक शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:39:10 IST
Reason: SelfAttested